नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
जारी

रिपोर्ट पटवारी हल्का नायलवाडा बनाम लालजी वगैरह

प्रकरण सं. 51/2013 तारीख रजू 31.7.2013 निर्णय दिनांक 29.5.23

29.5.23 आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है कि गैर सायलान लालजी पुत्र चेता राम, भरतलाल, अशोक मुरारी पुत्रान चेताराम जातियान मीना निवासी नायलवाडा ने संवत 2070 मे ग्राम नायलवाडा के आराजी ख.न. 1190 रकबा 2.57 हे भूमि चारागाह मे 0.50 हे भूमि पर पाटोल चद्दर व तीन तरफ पत्थरो की दीवार बनाकर कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है। प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को समन जरिये तलब किया गया।

गैर सायलान की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार शर्मा ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा गया, जिस पर आईन्दा श्री सुरेश कुमार द्वारा माननीय सिविल न्यायधीश महोदय राजगढ के यहां वाद सं. 46/90/2013 की आदेशिका दिनांक 17.8.2013 पेश की गई। जिसमे आगामी तारीख पेशी 23/8/2013 नियत की गई। नियत तिथी को माननीय न्यायालय द्वारा यथा स्थिति के आदेश पारित किये जाने पर पर प्रकरण मे स्थगन आदेश होने पर माननीय सिविल न्यायधीश महोदय राजगढ के यहां विचाराधीन प्रकरण सं. 34/142/2012 नम्बर 34/144/2022 मे वादी का वाद दिनांक 16.2.23 को वादी की अदम हाजरी व अदम पैरवी मे खारिज कर दिया गया है।

तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

अतः प्रकरण में अब किसी भी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर गैर सायलात की बेदखली के आदेश पारित कर शास्ती स्वरूप 1=00 एक रुपया की 50 गुणा राशि 50=00 रुपये कायम की जाती है। बेदखली आदेशों की पालना व शास्ती वसूली हेतु पटवारी हल्का एवं भू. अ. निरीक्षक राजपुर बड़ा को लिखा जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड मे मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.5.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

रा. ले. स. 4 वर्ष 2023-24
के पृष्ठ संख्या 35 पर चा. पै. -50/-
राशि कायम किये गये।

त. रा. लेखाकार